न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)
अनुवान हीरा लाल सहारण आदि बनाम राजस्थान सरकार
वाद–पत्र संख्या – 125 / 2025
निर्णय दिनांक 05-08-2025

1. हीरा लाल सहारण पुत्र सिंगाराम सहारण उर्फ हरीसिंह जाति जाट निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू।
2. शंकरलाल पुत्र सिंगाराम सहारण उर्फ हरीसिंह जाति जाट निवासी बनियाला तहसील तारानगर जिला चूरू।

वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी. एक्ट, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट

–::निर्णय::–

वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में कृषि भूमि रोही मौजा बनियाला पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 155 के खसरा सं. 1075 तादादी 5.8546, हैक्ट, ख.नं. 508 तादादी 5.1086 हैक्ट., ख.नं. 512 तादादी 14.0233 हैक्ट. कुल तादादी 24.9865 हैक्ट. में राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार दर्ज है। वादीगण जब नाबालिग थे तब वादीगण के पिता सिंगाराम उर्फ हरीसिंह का देहान्त हो गया था परिवार की स्थिति दयनीय होने के कारण वादीगण का लालन–पालन एवं लिखाई–पढाई वादीगण के मामा द्वारा करवाई गई थी। वादीगण के मामा ने वादीगण का स्कूल में दाखिला करवाते समय वादीगण के पिता का नाम सिंगाराम सहारण अंकित करवा दिया गया था राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह अंकित है जबकि वादीगण के अन्य शिक्षण संबंधित दस्तावेजात में वादीगण के पिता का नाम सिंगाराम सहारण अंकित है व वादीगण के भाई भंवरलाल व माता निराणी देवी के दस्तावेजों में वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह अंकित है। उक्त खसराजात भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह अंकित है जबकि वादीगण के अन्य दस्तावेजात आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड आदि दस्तावेज में वादीगण के पिता का नाम सिंगाराम सहारण दर्ज है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण के पिता का नाम व अन्य प्रमाण पत्रों में अंकित नाम में भिन्नता होने से वादीगण को उक्त कृषिभूमि का विरासतन इंतकाल दर्ज करवाने व राज्य/केन्द्र सरकार से मिलने वाली विभिन्न योजनाओं के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है। इसलिए वादीगण द्वारा वाद प्रस्तुत किया जा रहा है कि वादी के पिता का नाम राजस्व रिकार्ड में हरीसिंह के स्थान पर हरीसिंह उर्फ सिंगाराम सहारण दुरूस्त किया जावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार तारानगर से जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में पटवार हल्का ने वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह व हरीसिंह उर्फ सिंगाराम सहारण होना अंकित किया है। राजपैरोकार ने जांच रिपोर्ट के अलावा कोई जवाब पेश नहीं किया। प्रकरण का कोई खण्डन पेश नहीं हुआ। वादी द्वारा साक्ष्य करवाने हेतु समय चाहा गया है।

वाद पत्र के समर्थन में वकील वादी ने दिनांक 16.06.2025 को वादीगण की माता निराणी देवी पत्नी हरिसिंह जाति जाट निवासी बनियाला एवं प्रभुराम पुत्र बालूराम जाति जाट निवासी बनियाला का शपथ पत्र मय दस्तावेज इस आशय का पेश किया गया कि वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह उर्फ सिंगाराम सहारण सही नाम है। साक्ष्य प्रतिवादी नहीं कराये गये।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajendra

बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए वाद पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया। वकील वादी के कथनों का गौर किया गया तथा वादीगण द्वार प्रस्तुत शपथ पत्रों एवं साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाता है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार तारानगर की रिपोर्ट व संलग्न दस्तावेज आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड में वादीगण के पिता का नाम सिंगाराम सहारण पाया जाता है। राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह अंकित है। नाम में भिन्नता से वादी को परेशानी होना सम्भव है। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कृषि भूमि रोही बनियाला पटवार हल्का रैयाटुण्डा तहसील तारानगर जिला चूरू के खाता संख्या 155 के खसरा सं. 1075 तादादी 5.8546, हैक्ट, ख.नं. 508 तादादी 5.1086 हैक्ट., ख.नं. 512 तादादी 14.0233 हैक्ट. कुल तादादी 24.9865 हैक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज वादीगण के पिता का नाम हरीसिंह **Delete** कर इसके स्थान पर हरीसिंह उर्फ सिंगाराम सहारण अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है तथा शेष राजस्व रिकॉर्ड यथावत रखा जाए। न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय है। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 05-08-2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

Rajender
(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)